प्रेस नोट

जनपद भदोही

दिनांक: 09.09.2026

थाना औराई पुलिस द्वारा महिला से प्रेस नोट

जनपद भदोही

दिनांक: 09.09.2026

थाना औराई पुलिस द्वारा महिला से मंगलसूत्र छीनने की घटना का सफल अनावरण, घटना में शामिल 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व ₹2175 नकद बरामद

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 26.08.2026 को औराई हरिजन बस्ती के पास खड़न्जा सड़क पर एक अज्ञात मोटरसाइकिल सवार अपराधी द्वारा एक महिला के गले से मंगलसूत्र झपट्टा मारकर छीनने की घटना कारित की गई थी। इस संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 383/2026, धारा 304(2), 317(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित की गई।

गिरफ्तारी का विवरण:-

श्री अभिनव त्यागी, पुलिस अधीक्षक भदोही के कुशल निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत श्री शुभम अग्रवाल, अपर पुलिस अधीक्षक भदोही के पर्यवेक्षण में आज दिनांक 09.09.2026 को औराई मिर्जापुर रोड से औराई हरिजन बस्ती के तरफ जाने वाली खड़न्जा सड़क पर चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी करके अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता:-

नीरज बिन्द पुत्र रामसागर बिन्द, निवासी बसही थाना कोतवाली देहात, जनपद मीरजापुर उम्र करीब 20 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

अभियुक्त के जामा तलाशी से कुल ₹2175 नकद एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्त नीरज बिन्द ने पूछताछ में अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि उसने दिनांक 26.08.2026 को महिला से मंगलसूत्र की झपट्टा मारी की घटना की थी। छीने गए मंगलसूत्र को उसने मीरजापुर रेलवे स्टेशन के पास एक अज्ञात व्यक्ति को ₹13,000/- में बेच दिया था, जिससे मिले पैसों को उसने होटल में खाने-पीने और ऐश-आराम में खर्च कर दिया। जामा तलाशी में मिले ₹2175 उसी मंगलसूत्र को बेचने से बचे हुए शेष रुपए हैं।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

श्री सेतांशु शेखर पंकज (निरीक्षक अपराध, थाना औराई), हे0का0 श्री शेषनाथ वर्मा, का0 श्री रामजी थाना औराई जनपद भदोही।, घटना में शामिल 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व ₹2175 नकद बरामद

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 26.08.2026 को औराई हरिजन बस्ती के पास खड़न्जा सड़क पर एक अज्ञात मोटरसाइकिल सवार अपराधी द्वारा एक महिला के गले से मंगलसूत्र झपट्टा मारकर छीनने की घटना कारित की गई थी। इस संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 383/2026, धारा 304(2), 317(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित की गई।

गिरफ्तारी का विवरण:-

श्री अभिनव त्यागी, पुलिस अधीक्षक भदोही के कुशल निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत श्री शुभम अग्रवाल, अपर पुलिस अधीक्षक भदोही के पर्यवेक्षण में आज दिनांक 09.09.2026 को औराई मिर्जापुर रोड से औराई हरिजन बस्ती के तरफ जाने वाली खड़न्जा सड़क पर चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी करके अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता:-

नीरज बिन्द पुत्र रामसागर बिन्द, निवासी बसही थाना कोतवाली देहात, जनपद मीरजापुर उम्र करीब 20 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

अभियुक्त के जामा तलाशी से कुल ₹2175 नकद एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्त नीरज बिन्द ने पूछताछ में अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि उसने दिनांक 26.08.2026 को महिला से मंगलसूत्र की झपट्टा मारी की घटना की थी। छीने गए मंगलसूत्र को उसने मीरजापुर रेलवे स्टेशन के पास एक अज्ञात व्यक्ति को ₹13,000/- में बेच दिया था, जिससे मिले

पैसों को उसने होटल में खाने-पीने और ऐश-आराम में खर्च कर दिया। जामा तलाशी में मिले ₹2175 उसी मंगलसूत्र को बेचने से बचे हुए शेष रुपए हैं।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

श्री सेतांशु शेखर पंकज (निरीक्षक अपराध, थाना औराई), हे0का0 श्री शेषनाथ वर्मा, का0 श्री रामजी थाना औराई जनपद भदोही।